23/8/17 वादी के प्रार्थना पत्र दिनांक 8.8.17 पर पत्रावली पेश हुई। वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाद में कुछ त्रुटियां रह गई थी। इसलिए वाद को विड्रा कर पुनः नया वाद पेश करना चाहता है। वादी की पहचान श्री कमलेश आसेरी एड. ने की। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वापिस प्रत्याहृत किया गया। वादी के प्रार्थना पत्र पर वाद विड्रा कर नया वाद लाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से [illegible] तथा बाद तकमील जिला रिकॉर्ड [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अजमेर)

Scanned by CamScanner